न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 344/2025

वीर सिंह पुत्र मेघसिंह, निवासी दूधवा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं (राज0)

——प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।

——अप्रार्थी

——

आवेदन पत्र बाबत रूकवाया जाने साक्षात्कार राशन डीलर ग्राम दूधवा दूदी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं
दिनांक 28.08.2025

——

उपस्थितः—

1. श्री राहुल स्वामी, अधिवक्ता—प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्रीमती अनामिका, विभागीय प्रतिनिधि— अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 27.08.2025

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है कि प्रार्थी ग्राम दूधवा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं का निवासी है तथा वर्ष 2016—2017 मे वितरण केन्द्र आंवटन हेतु कार्यवाही की गई थी जिसमे आवेदक का चयन हो गया था परन्तु राजनैतिक प्रभाव के कारण निरस्त कर दूसरे व्यक्ति को आंवटन कर दिया गया था जिसके खिलाफ प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर मे एस0बी0 सिविल रिट पीटिशन नं0 19047/2017 दायर की थी जिसमे वर्तमान मे स्थगन आदेश प्रभावी है और आगामी तारीख पेशी 10.09.2025 की नियत है। इसलिए जब तक उक्त प्रकरण का माननीय न्यायालय जयपुर द्वारा अन्तिम निर्णय तक ग्राम दूधवा दूदी के वितरण केन्द्र के संबंध मे साक्षात्कार व कार्यवाही किया जाना उचित व न्यायोचित है। श्रीमान् जिला कलक्टर (रसद) झुंझुनूं की विज्ञप्ति कमांक रसद/प्राधिकार/2025—26/374 दिनांकित 12.06.2025 की पालना मे आवेदन पत्र प्राप्त कर प्राधिकार पत्र जारी करने के जिए दिनांक 28.08.2025 को साक्षात्कार लिया जाना तय किया गया है परन्तु ग्राम दूदवा दूदी के संबंध मे अगर किसी प्रकार की न्यायालय के निर्णय तक प्राधिकार पत्र के संबंध मे साक्षात्कार व प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है तो माननीय राज0 उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी, इसलिए कार्यवाही स्थिगित किया जाना आवश्यक होगा। पूर्व मे गणेश एसएचजी द्वारा एपपीएस से त्याग पत्र दे दिया था जिस कारण से उक्त केन्द्र रिक्त हो गया था। इस कारण से विपक्षी द्वारा दिनांक 12.06.2025 को उक्त केन्द्र रिक्त मानकर आंवटन की कार्यवाही के बाबत साक्षात्कार नियत किया गया था। परन्तु न्यायालय के निर्णय तक उक्त केन्द्र के संबंध मे कोई कार्यवाही नही की जाना उचित व न्यायोचित है। प्रार्थी द्वारा अपने हक—हकूकों के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे सिविल रिट पीटिशन दायर कर रखी है जिसका निर्णय होना बाकी है। इसलिए ऐसी स्थिति मे ग्राम दूदवा आंवटन केन्द्र प्राधिकार के संबंध मे कार्यवाही नही की जावे। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या एस बी सिविल रिट पीटिशन नं0 19047/2017 माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर मे विचाराधीन होने व आदेश दिनांक 02.11.2027 प्रभावी होने के कारण उक्त वितरण केन्द्र के आंवटन की कार्यवाही अन्तिम निर्णय न्यायालय तक स्थिगित किये जाने का आदेश विपक्षी को दिया जाने की कृपा करे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि प्रार्थी ग्राम दूधवा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं का निवासी है तथा वर्ष 2016–2017 मे वितरण केन्द्र आंवटन हेतु कार्यवाही की गई थी जिसमे आवेदक का चयन हो गया था परन्तु राजनैतिक प्रभाव के कारण निरस्त कर दूसरे व्यक्ति को आंवटन कर दिया गया था जिसके खिलाफ प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर मे एस0बी0 सिविल रिट पीटिशन नं0 19047/2017 दायर की थी जिसमे वर्तमान मे स्थगन आदेश प्रभावी है और आगामी तारीख पेशी 10.09.2025 की नियत है। इसलिए जब तक उक्त प्रकरण का माननीय न्यायालय जयपुर द्वारा अन्तिम निर्णय तक ग्राम दूधवा दूदी के वितरण केन्द्र के संबंध मे साक्षात्कार व कार्यवाही किया जाना उचित व न्यायोचित है। श्रीमान् जिला कलक्टर (रसद) झुंझुनूं की विज्ञप्ति क्रमांक रसद/प्राधिकार/2025–26/374 दिनांकित 12.06.2025 की पालना मे आवेदन पत्र प्राप्त कर प्राधिकार पत्र जारी करने के जिए दिनांक 28.08.2025 को साक्षात्कार लिया जाना तय किया गया है परन्तु ग्राम दूदवा दूदी के संबंध मे अगर किसी प्रकार की न्यायालय के निर्णय तक प्राधिकार पत्र के संबंध मे साक्षात्कार व प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है तो माननीय राज0 उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी, इसलिए कार्यवाही स्थिगित किया जाना आवश्यक होगा। पूर्व मे गणेश एसएचजी द्वारा एपपीएस से त्याग पत्र दे दिया था जिस कारण से उक्त केन्द्र रिक्त हो गया था। इस कारण से विपक्षी द्वारा दिनांक 12.06.2025 को उक्त केन्द्र रिक्त मानकर आंवटन की कार्यवाही के बाबत साक्षात्कार नियत किया गया था। परन्तु न्यायालय के निर्णय तक उक्त केन्द्र के संबंध मे कोई कार्यवाही नही की जाना उचित व न्यायोचित है। प्रार्थी द्वारा अपने हक–हकूकों के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे सिविल रिट पीटिशन दायर कर रखी है जिसका निर्णय होना बाकी है। इसलिए ऐसी स्थिति मे ग्राम दूदवा आंवटन केन्द्र प्राधिकार के संबंध मे कार्यवाही नही की जावे। अतः आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या एस बी सिविल रिट पीटिशन नं0 19047/2017 माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर मे विचाराधीन होने व आदेश दिनांक 02.11.2027 प्रभावी होने के कारण उक्त वितरण केन्द्र के आंवटन की कार्यवाही अन्तिम निर्णय न्यायालय तक स्थिगित किये जाने का आदेश विपक्षी को दिया जाने की कृपा करे।

विभागीय प्रतिनिधि ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण संख्या एस बी सिविल रिट पीटिशन नं0 19047/2017 माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर मे विचाराधीन होने व आदेश दिनांक 02.11.2027 प्रभावी होने के कारण उक्त वितरण केन्द्र के आंवटन की कार्यवाही न्यायालय के अन्तिम निर्णय तक स्थिगित कर दी जावेगी।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस वकील प्रार्थी से जाहिर है कि प्रकरण संख्या एस बी सिविल रिट पीटिशन नं0 19047/2017 माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर मे विचाराधीन होने व आदेश दिनांक 02.11.2027 प्रभावी होने के कारण उक्त वितरण केन्द्र दूदवा दूदी के आंवटन की कार्यवाही न्यायालय के अन्तिम निर्णय तक स्थिगित की जानी उचित है। विभागीय प्रतिनिधि ने भी इस पर कोई ऐतराज नही जताया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण संख्या एस बी सिविल रिट पीटिशन नं0 19047/2017 माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर मे विचाराधीन होने व आदेश दिनांक 02.11.2027 प्रभावी होने के कारण वितरण केन्द्र दूदवा दूदी के आंवटन की कार्यवाही न्यायालय के अन्तिम निर्णय तक स्थिगित की जाना सुनिश्चित करे। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं